न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 22/2018 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द नारायण खण्डेलवाल
   एफबीओ मैसर्सः— श्री श्याम एजेन्सी, मैन बाजार, रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. श्री कपिल खण्डेलवाल पुत्र श्री राधामोहन गुप्ता प्रोपराईटर
   मैसर्सः— कपिल ट्रेडर्स, न्यू कॉलोनी लालसोट, जिला दौसा।
3. श्री जितेन्द्र सिंह प्रोपराईटर
   मैसर्सः—श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रॉडक्टस, बी—237, रोड नं. 6 बी, वीकेआई एरिया जयपुर।

— अभियुक्तगण—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 27.04.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 01.02.2018 को दोपहर 02:00 बजे मैसर्सः— श्री श्याम एजेन्सी मैन बाजार, रामगढ पचवारा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द नारायण खण्डेलवाल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक रैक में करीबन 15 पैकिट 1 लीटर पैकिंग में पैक वनस्पति(मधु श्री, लाईट फेट किचन स्पेशल) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। इसमें से मिलावट का शक होने पर नमूने की जॉच हेतु 4 मूल पैकिट वनस्पति(मधु श्री, लाईट फेट किचन स्पेशल) खरीदा। जिसकी कीमत 800 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा पैक वनस्पति(मधु श्री, लाईट फेट किचन स्पेशल) के पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—1835 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर **प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद** पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 02.02.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 02.02.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 05.02.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति(मधु श्री, लाईट फेट किचन स्पेशल) का नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./154/एक्ट/2018/249 दिनांक 21.02.2018 के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 2 बाद तामील बहस के दौरान अनुपस्थित रहे एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 अनुपस्थित रहा और न ही अप्रार्थीगण की तरफ से कोई जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./154/एक्ट/2018/249 दिनांक 21.02.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति(मधु श्री, लाईट फेट किचन स्पेशल) के नमूने के लेबल पर **"Best before 6 months from date of packing"** प्रिन्ट किया गया है। जिसके स्थान पर **"BEST BEFORE 6 MONTHS FROM PACKAGING/MANUFACTURE" प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण पैकेजिंग एवं** लेबलिंग अधिनियम 2011 के उल्लंघन के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ वनस्पति(मधु श्री, लाईट फेट किचन स्पेशल) का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के **दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।**

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./154/एक्ट/2018/249 दिनांक 21.02.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति(मधु श्री, लाईट फेट किचन स्पेशल) का नमूना पैकेजिंग एवं लेबलिंग अधिनियम 2011 के उल्लंघन के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में काई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ वनस्पति(मधु श्री, लाईट फेट किचन स्पेशल) का विक्रय किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ वनस्पति (मधु श्री, लाईट फेट किचन स्पेशल) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग अधिनियम 2011 का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द नारायण खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्सः— श्री श्याम एजेन्सी, मैन बाजार, रामगढ पचवारा जिला दौसा, अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 श्री कपिल खण्डेलवाल पुत्र श्री राधामोहन गुप्ता प्रोपराईटर मैसर्सः— कपिल ट्रेडर्स, न्यू कॉलोनी लालसोट, जिला दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 श्री जितेन्द्र सिंह प्रोपराईटर मैसर्सः—श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रॉडक्टस, बी—237, रोड नं. 6 बी, वीकेआई एरिया जयपुर पर 11000/—(अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.04.2022 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ दिनांकः— 2022

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द नारायण खण्डेलवाल
   एफबीओ मैसर्सः— श्री श्याम एजेन्सी, मैन बाजार, रामगढ पचवारा जिला दौसा।
4. श्री कपिल खण्डेलवाल पुत्र श्री राधामोहन गुप्ता प्रोपराईटर
   मैसर्सः— कपिल ट्रेडर्स, न्यू कॉलोनी लालसोट, जिला दौसा।
5. श्री जितेन्द्र सिंह प्रोपराईटर
   मैसर्सः—श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रॉडक्टस, बी—237, रोड नं. 6 बी, वीकेआई एरिया जयपुर।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा